वादिया संख्या 2 व 3 जो कि मूला की पुत्रियां है, के द्वारा उनका हक हिस्सा की घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। मूला का फोतगी नामान्तरकरण दर्ज करते समय उसके समस्त वारिसान का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं किया गया केवल मात्र मूला की पत्नी श्रीमती ऐजू को मूला की 1/3 हक हिस्सा भूमि का मूला के वारिसान के तौर पर खातेदार काश्तकार दर्ज कर दिया गया। जबकि मूला की दोनो पुत्रियां वादिया संख्या 2 व 3 मूला की सम्पति में कानूनन बराबर की अधिकारिणी है। चूंकि मूला की पत्नी श्रीमती ऐजू द्वारा सम्पूर्ण 1/3 हक हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 के हक में कियागया बिचौती पत्र वादिया संख्या 2 व 3 के हक अधिकारों तक शून्य है। श्रीमती ऐजू अपने 1/9 हिस्सा भूमि का कानूनन विक्रय कर सकती है।

दावा के साथ सलंग्न दस्तावेजात के परीक्षणोंपरान्त न्यायालय के विवेचन के आधार पर वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद पूर्ण साबित नहीं होने से स्वीकार कियाजाना उचित प्रतीत नहीं होता परन्तु चूकि वाद में मूला की पुत्रियों द्वारा भी अपने हक हिस्सा भूमि की घोषणा का अनुतोष चाहा गया है इसलिये वाद वादीगण संख्या 2 व 3 की हद तक आंशिक स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः वाद वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी वाके कस्बा झुन्झुनू के ख0न0 3663, 3664, 3665 कुल किता 3 कुल रकबा 6.36 है0 में मूला वल्द चतरू के 1/3 हक हिस्सा भूमि का श्रीमती ऐजू द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के हक में किया गया बिचौती पत्र वादीगण संख्या 2 व 3 के हक अधिकारों तक शून्य घोषित किया जाता है तथा मूला वल्द चतरू के 1/3 हक हिस्सा भूमि में वादिया संख्या 2 को 1/3 हक हिस्सा तथा वादी संख्या 3/1 लगायत 3/5 को संयुक्त रूप से 1/3 हक हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विवादित आराजी कि खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 इब्राहिम के नाम दर्ज नहीं होने की स्थिति में इब्राहिम द्वारा दिगर व्यक्ति के हक में विक्रय/दान/उपहार के जरिये अन्तरण शुदा भूमि में से वादीगण के हिस्से की भूमि वादीगण के नाम दर्ज की जावे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करेंगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01/07/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01/07/25

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)